उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
(सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग)

क्र.45 /आईडी/बी-2/2021/ 3399 दिनांक 16.09.2021.

<u>औद्योगिक भूखंडो के ई-नीलामी से आवंटन हेतु आवेदनों का आमंत्रण</u>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र.शासन द्वारा आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, दमोह, देवास, मंदसौर, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, उमरिया एवं विदिशा जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध औद्योगिक भू-खंडों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना है जिसकी प्रक्रिया दिनांक 01.10.2021से https://mptenders.gov.in/ पोर्टल पर प्रारम्भ होगी।

भूखंड हेतु ई-नीलामी की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं-

1. भू-खंडों का आवंटन "मध्यप्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021" के तहत किया जायेगा।
2. प्रत्येक भू-खंड हेतु आवेदन शुल्क रूपये 5000/- होगा एवं जीएसटी राशि पृथक से देय होगी। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है [नियम 11(i)]
3. आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आवेदित भूमि हेतु आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 25 प्रतिशत अग्रिम राशि ऑनलाईन जमा करानी होगी जो आवंटन के समय समायोजन योग्य होगी । [नियम 11(1)(iv)]
4. नीलामी के लिये बेस प्राइस भूखंड की प्रब्याजी तथा विकास शुल्क का योग होगा[नियम 12(i)(अ)(i)(1)]
5. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु Class 3 Digital Signature होना आवश्यक है।

नियम,प्रक्रिया एवं भू-खण्डों आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट mpmsme.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है|

16-9-21

सहायक संचालक
कृते उद्योग आयुक्त